

आंतरिक समिति-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

(रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013

INTERNAL COMMITTEE-SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE
(PREVENTION, PROHIBITION, AND REDRESSAL ACT 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

The Internal Committee is re-constituted as per the provisions of the Sexual harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 with the following members:

क्र सं Sl. No	नाम एवं पदनाम Name & Designation		मोबाईल नं Mobile No.	ईमेल आइडी Email Id
1	श्रीमती सिंधु पी Smt. SINDHU.D, सीजीएम(एफ एंड एस / क्यूसी/ टीएसएस CGM(F&S/QC/TSS)	अध्यक्षा	9895774345	d.sindhu@hoclindia.com
2	श्रीमती सिनी वी वी Smt. SINI V V, विपणन विभाग MARKETING Dept	सदस्य Member	8547786958	sinivv@hoclindia.com
3	श्रीमती शीबा वि एम Smt. SHEEBA V M, मानव संसाधन विभाग HR Dept	सदस्य Member	9400731222	sheebavm@hoclindia.com
4	श्रीमती संगीता शशि, एमएसएस विभाग Smt. SANGEETHA SASI, MSS Dept	सदस्य Member	9847187475	Sangeetha.sasi@hoclindia.com
5	श्री पी एच जुबैर Sri. P H ZUBAIR, महा प्रबंधक GM (Marketing/FPS)	सदस्य Member	9072374001	Ph.zubair@hoclindia.com
6	श्री विनोदकुमार Sri. K V VINODH KUMAR, कल्याण अधिकारी WELFARE OFFICER	सदस्य Member	9495934546	Vinodh.wo@hoclindia.com
7	डॉ रसीनापदमं Dr. RASEENA PADMAM, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं भूतपूर्व Retd. Professor & former निदेशक, व्यवहार विज्ञान, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम DIRECTOR OF SCHOOL OF BEHAVIORAL SCIENCE M G UNIVERSITY, KOTTAYAM	बाहरी सदस्य External Member	9447040976	Razeenapadmam@yahoo.co.in

समिति उपरोक्त अधिनियम के अनुसार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत, यदि कोई हो, घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सीधे आंतरिक समिति को रिपोर्ट की जानी चाहिए। समिति शिकायतों की जांच करेगी और मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए जांच पूरी होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति का कार्यकाल आदेश जारी होने की तारीख से तीन साल प्रभावी होगा (आदेश संख्या एचआर/आईसीसी/2023 दिनांक 14 जून 2023)।